रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 7, 1983/वैशाख 17, 1905

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 7, 1983/VAISAKHA 17, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

योजना आयोग

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1983

सा० का० नि० 355.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक विकास) भर्ती, नियम, 1962 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग, ज्येष्ठ अनुसंधान और अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक विकास) भर्ती (संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक विकास) भर्ती नियम, 1982 की अनुसूची में,—

(1) ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक विकास) के पद से संबंधित क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ 13 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—(पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(1) सलाहकार या अपर सचिव या प्रशासन का भार साधन संयुक्त सचिव (योजना आयोग)—सदस्य

(2) संयुक्त सचिव या सलाहकार या कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) का संयुक्त सलाहकार—सदस्य

टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि संघ लोक सेवा आयोग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1983

सा० का० नि० 367.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी में कनिष्ठ स्वागत अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (कनिष्ठ स्वागत अधिकारी) भर्ती नियम 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 3 से 5 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 6 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्ति लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
1	2	3	4	5	6	6क	7
कनिष्ठ स्वागत अधिकारी	*10 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण, केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अलिपिकवर्गीय अराजपत्रित	330-10-380-द०रो०-12-500-द० रो० 15-530	लागू नहीं होता।	18-25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। आयु सीमा के अवधारण के प्रकाशन/की निर्णायक तारीख के आधार पर अवधारित की जाएगी)।	लागू नहीं होता।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ।
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती की दशा में दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण- (i) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा काडर के उच्च श्रेणी लिपिक, जिसके न हो सकने पर आकाशवाणी के अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे लिपिक श्रेणी I जो नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हों । (ii) उपर्युक्त (i) के न हो सकने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा काडर के ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर आकाशवाणी के अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे लिपिक श्रेणी 2, जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	(1) उप निदेशक, प्रशासन (गृह प्रबंध) आकाशवाणी महानिदेशालय - अध्यक्ष (2) उपनिदेशक, प्रशासन (इंजीनियरी) आकाशवाणी महानिदेशालय - सदस्य (3) अवर सचिव (प्रशासन) योजना योग - सदस्य	लागू नहीं होता

[संख्या 12019/4/81-बी (ए)]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 11th April, 1983

G.S.R. 367.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Reception Officer in the All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the All India Radio, (Junior Reception Officer) Recruitment Rules 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay:—The number of the said post its classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 6 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification:— No person (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

OR

(b) who having a spouse living has entired into or contracted a marriage with any person;
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories, in accordance with the orders, issued to the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Junior Reception Officer	*10 *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial Non-Gazetted	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not applicable	18-25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years of age. The age will be determined on the basis of crucial date of publication/circulation of the vacancy).	Not applicable	A degree from a recognised University.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion/deputation	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruit or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years in case of direct recruitment	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation : (i) Upper Division Clerks of Central Secretariat Clerical Service cadre of the Ministry of Information and Broadcasting failing which Clerk Grade I of sub-offices of All India Radio who hold the post on a regular basis. (ii) Failing (i) above, Lower Division Clerks of Central Secretariat Clerical Service cadre of the Ministry of Information and Broadcasting with 8 years' regular service in the grade failing which Clerk Grade II of sub-offices of All India Radio with 8 years regular service in the grade. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	1. Deputy Director Administration (House Keeping), Directorate General, All India Radio—Chairman 2. Deputy Director Administration (Engineering), Directorate General, All India Radio—Member. 3. Under Secretary (Administration), Planning Commission—Member.	Not applicable

[No. 12019/4/81-B(A)]

सा० का० नि० 368—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 1964* का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती (पहली संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में कनिष्ठ स्वागत अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा।

*टिप्पण:—मूल नियम अर्थात् आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 1964 सा० का० नि० संख्या 1776 दिनांक, 30-11-1964 के द्वारा अधिसूचित किये गये थे और उसके बाद निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किये गए हैं :—

1. अधिसूचना संख्या 11/5/64-बी (ए), दिनांक 9-8-1965
2. अधिसूचना संख्या 5/2/67-बी (ए), दिनांक 20-3-1967
3. अधिसूचना संख्या 7/2/68-बी (ए), दिनांक 14-6-1968
4. अधिसूचना संख्या 7/8/66-बी (ए), दिनांक 31-1-1970
5. अधिसूचना संख्या 20/8/67-बी (ए), दिनांक 24-2-1970
6. अधिसूचना संख्या 16/20/69-बी (ए), दिनांक 30-3-1970
7. अधिसूचना संख्या 1/7/70 बी (ए), दिनांक 18-3-1971
8. अधिसूचना संख्या 1/8/71-बी (ए), दिनांक 29-1-1972
9. अधिसूचना संख्या 1/8/71-बी (ए), दिनांक 2-2-1972
10. अधिसूचना संख्या 1/11/71-बी (ए), दिनांक 5-5-1972
11. अधिसूचना संख्या 1/4/72-बी (ए), दिनांक 16-6-1972
12. अधिसूचना संख्या 1/7/71-बी (ए), दिनांक 14-11-1972
13. अधिसूचना संख्या 1/6/73-बी (ए), दिनांक 23-5-1973
14. अधिसूचना संख्या 1/11/73-बी (ए), दिनांक 29-6-1973
15. अधिसूचना संख्या 1-5-73-बी (ए), दिनांक 20-8-1973
16. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी (ए), दिनांक 15-5-1974
17. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी (ए), दिनांक 8-8-1974
18. अधिसूचना संख्या 1/3/74-बी (ए), दिनांक 21-5-1976
19. अधिसूचना संख्या 12019/1/78-बी (ए), दिनांक 17-12-1980
20. अधिसूचना संख्या 12019/3/80-बी (ए), दिनांक 27-4-1981
21. अधिसूचना संख्या 12019/8/81-बी (ए), दिनांक 17-5-1982

[सा. का० नि० संख्या 526, दिनांक 5-6-82]

[सं० 12019/4/81-बी (ए)]
जगमोहन लाल माथुर, अवर सचिव

G.S.R. 368.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the folowing rules further to amend the All India Radio (Group 'C') Recruitment Rules 1964, *namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C') Recruitment (First Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C') Recruitment Rules, 1964, serial No. 62 relating to the post of Junior Reception Officer and the entries thereto shall be omitted.

*Note :—Principal Rules caled the All India Radio (Group 'C') Recruitment Rules 1964, were notified vide G.S.R. No. 1776 dated 30-11-1964, and subsequently the following amendments have been notified :

1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated 9-8-1965.
2. Notification No. 5/2/67-B(A), dated 20-3-1967.
3. Notication No. 7/2/68-B(A), dated 14-6-1968.
4. Notification No. 7/8/66-B(A), dated 31-1-1970.
5. Notification No. 20/8/67-B(A), dated 24-2-1970.
6. Notification No. 16/20/69-B(A), dated 30-3-1970.
7. Notifiaction No. 1/7/70-B(A), dated 18-3-1971.
8. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 29-1-1972.
9. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 2-2-1972.
10. Notification No. 1/11/71-B(A), dated 5-5-1972.
11. Notification No. 1/4/72-B(A), dated 16-6-1972.
12. Notification No. 1/7/71-B(A), dated 14-11-1972.
13. Notification No. 1/6/73-B(A), dated 23-5-1973.
14. Notification No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973.
15. Notification No. 1/5/73-B(A), dated 20-8-1973.
16. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 15-5-1974.
17. Notification No. 1-7-70-B(A), dated 8-8-1974.
18. Notification No 1/3/74-B(A), dated 2-5-1976
19. Notification No. 12019/1/78-B(A), dated 17-12-1980.
20. Notification No. 12019/8/81-B(A), dated 27-4-1981.
21. Notification No. 12019/8/81-B(A), dated 17-5-1982 (GSR 526 dt. 5-6-82).

[No. 12019/4/81-B(A)]
J. L. MATHUR, Under Secy.

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1983

सा० का० नि० 369:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) में अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-